

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- अटल सेवा केन्द्र, खारा महेचान


प्रकरण सं.:- 101/2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1486

दिनांक:- 12-6-18

आदेश


वादी के वाद पत्र एवं पटवारी जूना मीठा खेड़ा व भू.अ.नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम एवाडी चौसीरा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2073-2076 में खाता संख्या 24 के राजस्व रिकॉर्ड(जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि मुकना पुत्र हुकमा के स्थान पर मुकना उर्फ मुकनसिंह पुत्र हुकमसिंह दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 12-6-18

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1487-1489

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री मुकना उर्फ मुकनसिंह पुत्र हुकमसिंह निवासी एवाडी चौसीरा तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी